

**शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना।**
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

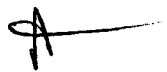
आदेश

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत सरकारी प्रारंभिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों, गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक/मध्य/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित एवं प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत विद्यालयों तथा वित्तरहित अनुदानित/प्रस्वीकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1लीं से 8वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को पोशाक क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य के विद्यालयों का सतत् निरीक्षण के दौरान यह संज्ञान में आया कि राज्य के अलग-अलग जिलों के विद्यालयों छात्र-छात्रा अलग-अलग रंग के पोशाक में विद्यालय आते हैं। इसका मुख्य कारक यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत छात्र-छात्राओं को पोशाक के कपड़े का रंग निर्धारित नहीं है, जिसके कारण राज्य के अलग-अलग जिलों के विद्यालयों में छात्र-छात्रा अलग-अलग रंग के पोशाक में देखे जाते हैं।

वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कक्षा 1लीं से 8वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं के पोशाक के कपड़े का रंग निम्नवत होगा :-

कक्षा	कोटि	पोशाक	रंग
वर्ग 1 से 8वीं	छात्रा	1. समीज/शर्ट	आसमानी नीला (Sky blue)
		2. दुपट्टा/ हाफ जैकेट जिसमें जैकेट समीज के आगे के हिस्से में सिला हुआ होगा।	गहरा नीला (Navy blue)
		3. सलवार/स्कर्ट	गहरा नीला (Navy blue)
	छात्र	1. शर्ट	आसमानी नीला (Sky blue)
		2. पैंट	गहरा नीला (Navy blue)



वर्ग 9वीं से 12	छात्रा	1. समीज	आसमानी नीला (Sky blue)
		2. दुपट्टा/ हाफ जैकेट जिसमें जैकेट समीज के आगे के हिस्से में सिला हुआ होगा।	गहरा नीला (Navy blue)
		3. सलवार	गहरा नीला (Navy blue)

2. छात्र-छात्राओं के पोशाक की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यथा संभव अधिक प्रतिशत सूती (Cotton) मिश्रित कपड़ा क्रय किया जायेगा।

3. अगली शिक्षक अभिभावक बैठक में अभिभावकों को निम्नांकित तथ्यों से अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा -

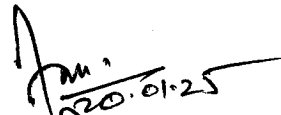
(क) कितनी राशि दी जा रही है एवं किस प्रयोजन के लिए दी जा रही है।

(ख) सभी अभिभावकों से मौखिक/लिखित घोषणा (Declaration) लिया जायेगा कि जिस प्रयोजन हेतु राशि दी जा रही है उसी प्रयोजनार्थ खर्च किया जायेगा।

(ग) मार्च माह में सभी छात्र-छात्राओं का पोशाक में फोटोग्राफी कराकर ई शिक्षा कोष पर अपलोड कराया जायेगा।

4. यह आदेश अगले शैक्षणिक सत्र से पूरे राज्य के उपरोक्त सभी कोटि के विद्यालयों के लिए प्रभावी होगा।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

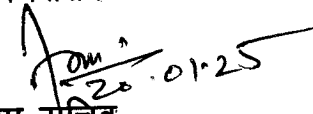

20.01.25
उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 9/पोशाक यो०-02/2024 (अंश) 44..... पटना, दिनांक-20/1/2025

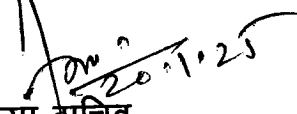
प्रतिलिपि : 1. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी/विद्यालय अवर निरीक्षक नगर क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


20.01.25
उप सचिव

ज्ञापांक : 9/पोशाक यो०-02/2024 (अंश) 44..... पटना, दिनांक-20/1/2025

प्रतिलिपि : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, BEP/सभी उप निदेशक, शिक्षा विभाग/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को सूचनार्थ समर्पित।


20.01.25
उप सचिव